न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-144RAAJodhpur2024-85RTA225 Aidansingh Vs Pepkanwar etc

आईदानसिंह पुत्र श्री हनवंतसिंह जाति राजपूत, निवासी-भोमसागर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. पेपकंवर पत्नी श्री चैनसिंह
02. समदकंवर पत्नी श्री भीवसिंह
03. दीपसिंह पुत्र श्री जवारसिंह
04. फतेहसिंह पुत्र श्री दीपसिंह
05. चन्दनसिंह पुत्र श्री दीपसिंह
06. हीराकंवर पत्नी गोकलसिंह
07. कुम्भसिंह गोद पुत्र श्री गोकलसिंह
08. हरिसिंह पुत्र श्री सुरतसिंह
09. खेतसिंह पुत्र श्री हीरसिंह
10. सोनीकंवर पत्नी श्री हीरसिंह
    सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- धांधुपुरा खोखसर, तहसील गिडा, जिला बाड़मेर।
11. हेमसिंह पुत्र विजयसिंह, जाति राजपूत, निवासी-धांधुपुरा खोखसर, तहसील गिडा, जिला बाड़मेर।
12. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत भोमसागर।
13. उप पंजीयक शेरगढ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 01 मई 2024 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2021 आईदानसिंह बनाम पेपकंवर इत्यादि

उपस्थित-
श्री शंकरसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 14

नि र्ण य

दिनांक : 05 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2021 अनवान आठदानसिंह बनाम पेपकंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 मई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 14 मई 2024 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 800 रकबा 01.02 बीघा, खसरा नं. 801 रकबा 324 बीघा, खसरा नं. 569 रकबा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 570 रकबा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाका, खसरा नं. 572 रकबा 114.12 बीघा ग्राम भोसागर तहसील शेरगढ के संबंध में धारा 83, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तरिम रुप से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये। रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पोडेंट्स को रहवासीय ढाणी के पुनः निर्माण की छूट प्रदान कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना शेष है। विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर।

द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौके की वस्तुस्थिति तलब किये बिना ही रेस्पोडेंट्स को अविभाजित भूमि के विशेष भू-भाग पर मकान निर्माण कर कब्जा करने की खुली छूट प्रदान कर दी है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में मुख्य सड़क पर स्थित भूमि पर जगह-जगह तारबंदी कर पक्के निर्माण कार्य कर रहे है। यदि रेस्पोडेंट्स द्वारा विशेष भू-भाग पर कब्जा कर लिया जाता है तो अपीलांट के दावे का औचित्य ही खत्म हो जायेगा है तथा अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 मई 2024 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा सड़क की कीमती जमीन का बेचान नहीं करे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थी संख्या तीन से सात द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट/जीर्ण-शीर्ण हुई ढाणी के पुनः निर्माण का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत उपरोक्त खसरान् में बनी पुरानी रहवासीय ढाणी के केवल पुनरुद्धार की ही छूट दिया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा काश्तकारान् को अपने कब्जे-काश्त की भूमि में बनी पुरानी ढाणी के पुनरुद्धार की छूट प्रदान की गई है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने पूर्व स्थान पर बनी ढाणी का ही पुनरुद्धार किया जाता है तो प्रथमदृष्टया अपीलांट के हितो पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अदालत हाजा की राय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मामला उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत अंतिम निस्तारण हेतु पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि मामले में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 2 माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर